

है। यह प्रस्ताव है कि इसके लिए वित्त-व्यवस्था 284.21 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता द्वारा तथा 9.59 करोड़ रुपये राज्य के संसोधनों के द्वारा की जाएगी।

(ख) जी हां, राज्य सरकार द्वारा भेजी गई सम्भाव्यता रिपोर्ट परीक्षा-अधीन है।

दिल्ली पुलिस में भर्ती

2389. श्री हरी सिंह : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र-शासित दिल्ली के लिए पुलिस कान्स्टेबलों की भर्ती 1971 से 12 फरवरी, 1973 तक के समय में अनेक बार विभिन्न वैचों में की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो उनकी कुल संख्या क्या है और उपरोक्त अवधि में भर्ती किए गए कान्स्टेबलों में से अनुसूचित जातियों के लोगों की संख्या क्या है ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) जी हां।

(ख) संबंधित अवधि के दौरान कुल 1414 कान्स्टेबल भर्ती किये गये थे और उनमें से 242 अनुसूचित जाति के थे।

Reservation of Items for Small Scale Sector

2390. SHRI HARI SINGH: Will the Minister of INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND SCIENCE AND TECHNOLOGY be pleased to state:

(a) whether Government have decided to reserve eight more items of production for the Small Scale Sector; and

(b) if so, the names thereof?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT (SHRI ZIAUR RAHMAN ANSARI): (a) and (b). Government

are actively considering 49 more items for reservation. Once the final decision is taken the items will be published.

बल्बों का निर्माण

2391. श्री हरी सिंह : क्या औद्योगिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश में बल्बों का निर्माण करने वाले लघु एकक दिन प्रति दिन समाप्त होते जा रहे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जियाउर रहमान अन्सारी) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

राजपत्रित अधिकारियों के विरुद्ध केन्द्रीय जांच ब्यूरो की जांच

2392. श्री हरी सिंह : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1972 के दौरान कितने राजपत्रित अधिकारियों के विरुद्ध केन्द्रीय जांच ब्यूरो के भ्रष्टाचार, घूसखोरी और धोखाधड़ी के मामलों की जांच की तथा उन में से कितनों को दोषी पाया गया ; और

(ख) दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है और उन्हें क्या सजा दी गई ?

गृह मंत्रालय तथा कानिंक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्चा) : (क) और (ख). वर्ष 1972 के दौरान केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने 1211 राजपत्रित अधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार, घूसखोरी और धोखाधड़ी के मामलों को जांच की।